भारत सरकार
कोयला मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *239
जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु योजनाएं

*239. **श्री बाबू सिंह कुशवाहाः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई विशेष योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2030 और 2047 तक कोयले की अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला खनन से राज्यों को प्राप्त रॉयल्टी, रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे में निवेश के संबंध में आंकड़े क्या हैं;

(ङ) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड (एनसीडीसी) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के वर्तमान प्रचालनों और भावी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या हैं; और

(च) कोयला खनन के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 11.12.2024 को माननीय संसद सदस्य श्री बाबू सिंह कुशवाहा द्वारा पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *239 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) तथा (ख) : कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक घरेलू कोयला उत्पादन को 1.5 बि.ट. तक बढ़ाने के लिए कार्यनीति तैयार की है। वर्ष 2029-30 तक देश में घरेलू कोयला उत्पादन/अनुमान योजना निम्नानुसार है:

कंपनी/वर्ष	वार्षिक योजना लक्ष्य	अनुमान योजना				
	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	2029-30
सीआईएल	838.00	915.00	1004.00	1043.00	1082.00	1131.00
एससीसीएल	72.00	75.00	79.00	80.00	82.00	82.00
कैप्टिव एवं अन्य	170.00	203.39	227.80	255.14	285.75	320.04
कुल	**1080.00**	**1193.39**	**1310.80**	**1378.14**	**1449.75**	**1533.04**

(ग) : आगामी वर्षों के लिए कोयले की मांग को पूरा करने के लिए देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं -

i कोयला ब्लॉकों के विकास में तेजी लाने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा नियमित समीक्षा।

ii कैप्टिव खान स्वामियों (परमाणु खनिजों को छोड़कर) को ऐसी अतिरिक्त राशि के भुगतान पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित तरीके से खान से संबद्ध अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद खुले बाजार में अपने वार्षिक खनिज (कोयला सहित) उत्पादन का 50% तक बेचने में सक्षम बनाने के लिए खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 [एमएमडीआर अधिनियम] का अधिनियमन।

iii कोयला खानों के प्रचालन में तेजी लाने के लिए कोयला क्षेत्र हेतु सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल।

iv कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए विभिन्न अनुमोदन/निकासी प्राप्त करने के लिए कोयला ब्लॉक आबंटितियों की सहायता हेतु परियोजना निगरानी इकाई।

v राजस्व शेयरिंग के आधार पर वाणिज्यिक खनन की नीलामी वर्ष 2020 में शुरू की गई। वाणिज्यिक खनन स्कीम के अंतर्गत उत्पादन की निर्धारित तारीख से पूर्व उत्पादित कोयले की मात्रा के लिए अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण या द्रवीकरण पर प्रोत्साहन (अंतिम प्रस्ताव पर 50% की छूट) भी दिए गए हैं।

vi कोयले के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होने, बोली प्रक्रिया में नई कंपनियों को भाग लेने की अनुमति देने, अग्रिम राशि को कम करने, मासिक भुगतान हेतु अग्रिम राशि के समायोजन, कोयला खानों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए लचीलापन को बढ़ावा देने हेतु उदार दक्षता मापदंड, पारदर्शी बोली प्रक्रिया, ऑटोमैटिक रूट के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित राजस्व शेयरिंग मॉडल के साथ वाणिज्यिक कोयला खनन की निबंधन एवं शर्तें बहुत उदार हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं -

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सीआईएल अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां भी व्यवहार्य हो, मुख्यतः सतत खनिकों (सीएम) के साथ व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियां (एमपीटी) अपना रही है। सीआईएल ने परित्यक्त/बंद खान की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल, जहां भी व्यवहार्य हो, बड़ी क्षमता वाली यूजी खानों की भी योजना बना रही है। सीआईएल की अपनी ओपनकास्ट (ओसी) खानों में पहले से ही उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटरों, डम्परों और सतही खनिकों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है।

ii. सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नई परियोजनाओं की स्थापना करने और मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए नियमित संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए कोल हैंडलिंग प्लांट्स (सीएचपी), क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे-बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकसित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

(घ) : पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला खनन से राज्यों को प्राप्त रॉयल्टी (₹ करोड़ में) का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य का नाम	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अनंतिम)
छत्तीसगढ़	2350.21	2292.88	2509.75	3342.72	3285.05
झारखण्ड	3211.03	2879.95	3616.95	4727.55	5427.24
ओडिशा	2139.45	1519.31	2704.31	4137.88	3881.8
मध्य प्रदेश	2069.38	3199.42	2544.95	1890.72	3296.11
महाराष्ट्र	1198.80	1153.85	1703.76	2898.58	2322.02
तेलंगाना	1537.36	1429.74	351.5	4845.66	2904.23
पश्चिम बंगाल	18.96	12.64	16.87	18.16	18.46
असम	31.34	5.89	0	25.39	16.84
उत्तर प्रदेश	406.39	638.23	475.24	583.87	606.12

पिछले पांच वर्षों के दौरान रोजगार सृजन का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

वर्ष	सीआईएल	एससीसीएल	नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)
2019-20	5113	2333	117
2020-21	4236	1706	85
2021-22	6168	2799	1094
2022-23	6134	1892	770
2023-24	5626	1245	732

पिछले पांच वर्षों के दौरान कैपेक्स उपलब्धि का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपए में राशि)

वर्ष	सीआईएल	एनएलसीआईएल	एससीसीएल	कुल
2019-20	6269.65	6470	2257.6	14997.25
2020-21	13283.83	2881	1310.08	17474.91
2021-22	15400.96	2541.76	1713.7	19656.42
2022-23	18619.27	3307.78	1473.17	23400.22
2023-24	23475.41	4270.18	1704.08	29449.67

(ड.) : आज तक की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कोयला विकास निगम (एनसीडीसी) का कोई प्रचालन नहीं है। सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 72 मि.ट. उत्पादन की योजना बनाई है। 72 मि.ट. में से 68.30 मि.ट. कोयले की योजना प्रचालनरत खानों से बनाई गई है और 3.70 मि.ट. कोयले की योजना वित्त वर्ष 2024-25 में स्थापित होने वाली 3 नई परियोजनाओं से बनाई गई है। एससीसीएल ने अपने खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर 31.30 एमटीपीए की नियत क्षमता के साथ 7 नई परियोजनाएं खोलने की भी योजना बनाई है।

(च) : देश में कोयला/लिग्नाइट खानों में पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए, विभिन्न सतत और पर्यावरण अनुकूल पहलें की गई हैं जैसे कि वृक्षारोपण/जैव-पुनरूद्धार, सामुदायिक उपयोग के लिए खान जल का उपयोग, इको-पार्कों का विकास और ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाना।

इसके अलावा, वाणिज्यिक खनन के लिए सफल बोलीदाता और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के बीच निष्पादित कोयला ब्लॉक विकास और उत्पादन करार में यह अधिदेश दिया गया है कि सफल बोलीदाता आधुनिक और प्रचलित प्रौद्योगिकियों के अनुरूप कोयला खान में यंत्रीकृत कोयला निष्कर्षण, परिवहन और निकासी को लागू करेगा। तदनुसार, सफल बोलीदाता अच्छी उदयोग पद्धति के अनुरूप कोयला खान में प्रचालनों से कार्बन फुटप्रिंट्स को न्यूनतम करने का प्रयास करेगा, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और संधारणीयता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाएगा।

****